अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ

4.1 सशर्त संविदा की स्वीकृति से ₹ 1.03 करोड का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

मुख्य अभियंता दिल्ली क्षेत्र ने सैन्य अभियंता सेवाओं के नियमों का उल्लंघन करते हुए, बिना सरकारी स्वीकृति के एक अनिश्चित दायित्व वाले सशर्त संविदा का निष्पादन किया जिसके कारण ठेकेदार को ₹1.03 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मुख्य अभियन्ता, दिल्ली क्षेत्र (सी.ई.डी.जी.) के एक सशर्त निविदा की स्वीकृति के कारण ठेकेदार को ₹ 1.03 करोड का परिहार्य भुगतान करना पडा।

सैन्य अभियंता सेवाओं की नियमावली के पैरा 394 के अनुसार सभी संविदाओं में अनिश्चित दायित्व वाले एवं असामान्य शर्तो वाले प्रावधान शामिल नही करने चाहिए। तथापि, अगर सविदाओं में इन उपबन्धों का सम्मिलित करना आवश्यक है, तब भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त् करनी चाहिए।

रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने सितम्बर 2004 में ₹ 31.78 करोड की अनुमानित लागत पर दिल्ली छावनी में सैन्य मैस एवं आडिटोरियम के प्रावधान के लिए स्वीकृति प्रदान की। सी.ई.डी.जी. ने सितम्बर 2004 में ₹ 21.37 करोड की अनुमानित लागत की स्वीकृति पर सिविल कार्यो के लिए निविदाओं का आमंत्रण दिया। जनवरी 2005 में पहली काल में प्राप्त निविदाओं में ₹ 48.03 करोड की न्यूनतम बोली अनुचित रूप से अधिक होने के कारण, अस्वीकृति हो गई थी। अप्रैल 2005 में दूसरी काल के अंतर्गत संशोधित विनिर्देशन के साथ निविदाओं को जारी किया गया एवं मैसर्स केटक इन्जीनियर बिल्डर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के ₹ 38.44 करोड़ की न्यूनतम निविदा को उचित माना गया । निविदा का प्रस्ताव 60 दिनों के लिए, यानि 06 सितम्बर 2005 तक वैध था।

चूंकि न्यूनतम निविदा की राशि संविदा स्वीकृति के लिए उपलब्ध राशि से अधिक थी, सी.ई.डी.जी. ने एम.ओ.डी. से वित्तीय सहमति प्राप्त करने के लिए 28 जुलाई 2005 को मामला उठाया। नवम्बर 2005 में एम.ओ.डी. ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया एवं मामले को स्वीकृति विनिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के बाजारी उतार चढाव के अनुसार लागत के संशोधन के लिए आगे प्रस्तावित किया। इसी बीच कंपनी ने सी.ई.डी.जी. के आग्रह पर अपने निविदा की वैधता को दिसम्बर 2005 तक के लिए आगे बढा दिया।

बाद में 17 मार्च 2006 को ₹ 44.18 करोड़ की अनुमानित लागत पर एम.ओ.डी. द्वारा कार्य के लिए संशोधित स्वीकृति दी गई। चूंकि तब तक निविदा की वैधता समाप्त हो चुकी थी, सी.ई.डी.जी. ने निविदादाता को वैधता को आगे बढाने के लिए प्रस्ताव रखा। निविदादाता ने निविदा की वैधता को 25 मार्च 2006 तक बढाने के साथ सी.ई.डी.जी को सिमेंट के असामान्य मूल्य वृद्वि की बाबत अनुकूल प्रतिक्रिया रखने का आग्रह किया । निविदादाता की सिमेंट के असामान्य मूल्य वृद्वि पर अनुकूल प्रतिक्रिया रखने के आग्रह की बात को ना काटते हुए सी.ईडी.जी ने 22 मार्च 2006 को ₹ 38.27 करोड की कुल लागत पर ठेका स्वीकृत कर लिया। कार्य अप्रैल 2006 में शुरू हुआ एवं दिसम्बर 2010 में पूर्ण हो गया। तथापि, संविदा के चालू रहने के दौरान सिमेट में मूल्य वृद्वि के कारण प्रस्तुत किए गए पुनःअदायगी के दावों की रकम सी.ई.डी.जी द्वारा नही दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पार्टियों में मतभेद हो गया। इसलिए मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया।

नवम्बर 2008 में प्रमुख अभियंता शाखा, नई दिल्ली (ई.इन.सी.ब्राच) द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ, ने कहा (अगस्त 2009) कि सी,इ,डी,जी, ने ठेकेदार की चिट्ठी में बिना किसी संशोधन के, जो एक स्वीकार पत्र का हिस्सा भी बनता है, संविदा को स्वीकार कर लिया एवं ठेकेदार को ₹ 0.89 करोड़ प्रदान किए जो कि पहले से भुगतान की गई एस्केलेशन की रकम ₹ 15.90 लाख से अधिक था। यघपि सी.ई.डी.जी. मध्यस्थ के इस फैसले से सहमत नही था फिर भी वह 3 महीने के अन्दर आपत्ति जताने में असफल रहा। जनवरी 2009 में फाइल किए गए आपत्ति आवेदन विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थना को अदालत ने बर्खास्त कर दिया। तदनानुसार, सी,ई.डी.जी. ने ठेकेदार को ₹1.03 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें ₹0.14 करोड़ का ब्याज सम्मिलित था जो कि भुगतान को समय पर नही किए जाने के कारण लगाया गया था।

ड्राप्ट पैराग्राफ को जनवरी 2013 में मंत्रालय भेजा गया था, उनका उत्तर अगस्त 2013 में प्राप्त् हुआ। मंत्रालय ने उतर में कहा कि मध्यस्थ ने ठेकेदार की चिट्टी की गलत व्याख्या की। ठेकेदार ने केवल सिमेंट में मूल्य वृद्वि के कारण अनुकूल प्रतिक्रिया रखने का आग्रह किया था जो कि काट्रैक्ट एक्ट के शर्तो के अनुसार पूर्ण नही था।

ठेकेदार के चिट्ठी की गलत व्याख्या को लेकर मंत्रालय का आश्रय स्वीकार्य नही है क्योंकि नियमानुसार अगर सी.ई.डी.जी. को भुगतान अस्वीकार्य था तो उन्हें नियमानुसार आपत्ति जतानी चाहिए थी। तीन महीने के अंतराल के भीतर आपत्ति याचिका नही किये जाने के कारण अदालत ने याचिका को बर्खास्त कर दिया एवं सिमेंट में मूल्य वृद्वि के कारण ठेकेदार को ₹1.03 करोड़ का भुगतान किया गया।

अतःमामले से यह पता चलता है, कि सी.ई.डी.जी द्वारा आर.एम.ई.एस के पैरा संख्या 394 का उल्लंघन करते हुए अनिश्चित दायित्व वाले संविदा का निष्पादन किया गया जिसके कारण ठेकेदार को ₹ 1.03 करोड़ का अदेय भुगतान किया गया।

4.2 खराब योजना के परिणामस्वरूप कार्य का निलंबन और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान

₹9.04 करोड़ कीमत की भूमि का अधिग्रहण, बिना किसी सहायक मार्ग के प्रावधान को घ्यान में रखते हुए किया गया जो ₹3 करोड़ की लागत के उपरांत निर्माण कार्य के निलम्बन में परिणित हुआ। इससे उत्पन्न सम्पति को ₹37 लाख का नुकसान झेलना पडा एवं ₹1.87 करोड़ के निवारक कार्य को आवश्यक बना दिया।

इंजिनियर-इन-चीफ के स्थायी आदेशों (1995) के अनुसार किसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अभियंता मूल्यांकन[23] में सभी विभिन्न पहलुओं के साथ निर्माण हेतु सहायक मार्ग की उपलब्धता को ध्यान में रखना होता है।

नवंबर 2007 में कठुआ, जम्मू -कश्मीर में सेना ने फारमेशन गोलाबारूद डंप[24] के निर्माण हेतु ₹9.04 करोड़ की लागत की 2063 कनाल और 2 मरला (257.887 ऐकड) की भूमि का

[23] अभियंता मुल्यांकन को बनाने का उददेश्य विचाराधीन परियोजनाओं की अभियांत्रिक समस्याओं, जो कि पूर्वभाषित हों, को उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना है। यह किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले किसी भी अभियांत्रिकी समस्याओं पर निर्णय लेने में सहायक है।

[24] फॉरमेशन एमुनिशन डंप वह स्थान है जहाँ विभिन्न यूनिटों का गोला बारूद ढका/खुला रखने का प्रावधान होता है।

अधिग्रहण किया। जबकि, सहायक मार्ग हेतु भूमि को चिन्हित एवं अधिग्रहित नहीं किया गया। अधिग्रहीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए से 7 किमी तक स्थित लंबी सहायक मार्ग जोकि 5.5 किमी तक पक्की सड़क थी, के द्वारा पहुँचा जा सकता था। बाकि 1.5 किमी कच्चा मार्ग, जोकि निजी भूमि पर था।

सितम्बर 2008 में, बोर्ड आफ आफिसर्स पठानकोट क्षेत्र के मुख्य अभियंता के प्रतिनिधियों ने अधिकृत भूमि की सीमा निर्धारण, सुरक्षा हेतु आंतरिक सड़क और परिमापीय बाडा, एवं सीमा स्तूप के निर्माण की संस्तुति की। जबकि मुख्य अभियंता के प्रतिनिधियों ने, अभियंता मूल्यांकन जो बोर्ड आफ आफिसर्स के कार्य का ही हिस्सा थी में कार्य स्थल तक उचित सहायक मार्ग की अनुपलब्धता को प्रकट नहीं किया।

फरवरी 2009 में क्वॉर्टर मास्टर जनरल, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) ने उपर्युक्त कार्य को ₹ 7.08 करोड़ की अनुमानित लागत पर संस्वीकृति दी। जुलाई 2009 में, मुख्य अभियंता ने, ₹ 5.68 करोड़ में ठेका किया, और कार्य का निष्पादन अगस्त 2009 में प्रारंभ हुआ। जून 2010 मे, जब कार्य की प्रगति 40 प्रतिशत थी, गाँव के स्थानीय लोगो ने अपनी भूमि पर ठेकेदार के वाहनों और मशीनरी की आवाजाही का विरोध किया। विरोध के कारण ठेकेदार दिसम्बर 2010 से कार्य में प्रगति नहीं कर सका। कार्य की कुछ मदें जैसे निकास प्रणाली, नदीपथ, पुलिया/ ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण जो कार्य क्षेत्र में शामिल था, नहीं किया जा सका जिससे जुलाई/अगस्त 2011 मे हुई भारी वर्षा के कारण सडको एवं प्रतिधारक दीवारों को अत्यधिक नुकसान पहुँचा। नवंबर 2011 में अधिकारियों के तकनीकी मण्डल द्वारा नुकसान का मूल्य ₹37 लाख आंकलित था, एवं नुकसान की मरम्मत और आगे के नुकसान की उपचारात्मक उपायों के लिए ₹1.87 करोड़ की अतिरिक्त कीमत को भी संस्तुतित किया।

इसी बीच, अक्तूबर 2010 में, गाँव के स्थानीय लोगो के विरोध के कारण ठेकेदार ने संविदा को पहले ही समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जिसे विभाग द्वारा नामंजूर कर दिया गया। ठेकेदार ने इसके बाद मध्यस्थता खण्ड से आह्वान किया और दिसम्बर 2010 में इ-इन-सी ब्राँच द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने अपना अवार्ड दिसम्बर 2012 में दिया। अवार्ड के अनुसार ठेके को समाप्त कर दिया था और ठेकेदार को देयता दोष से इस आधार पर मुक्त कर दिया कि कार्य दिसम्बर 2010 से रूका हुआ था। आगे मुख्य अभियंता के कार्यक्षेत्र मे सही सहायक मार्ग के निर्माण के उपरान्त बचे हुए कार्य हेतु एक नई सँविदा के लिए निर्देश दिए गए। दिसम्बर 2010 तक कार्य की प्रगति का प्रतिशत 42 एवं बुक किया गया व्यय ₹3.00 करोड़ था।

आगे यह देखा गया (मई 2013) कि उपर्युक्त गोला बारूद डंप के निर्माण हेतु कार्य को वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक मुख्य कार्य योजना से हटाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, क्योकि कार्य क्षेत्र अगम्य था और सहायक मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण अभी भी किया जाना था।

मामला जनवरी 2013 में मंत्रालय को सौपा गया।मंत्रालय ने अपने उत्तर में (मई 2013) कहा कि राज्य लोक निर्माण विभाग की सडक पहले से ही गाँव मेहतापुर तक अस्तित्व में थी, जहाँ से 1.2 किमी लंबा कच्चा उपगमन मार्ग रक्षा भूमि से जोडता था। यह मार्ग पहले सामान्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग मे लाया जाता था। चूँकि सहायक मार्ग अस्तित्व में था, कार्य की संस्वीकृति दी गई । कार्य के कार्यान्वयन के दौरान गाँव के स्थानीय लोगों ने कच्चे मार्ग का प्रयोग किए जाने पर आपत्ति जताई और न्यायालय मे मुकदमा दायर कर दिया।

उत्तर तथापि स्वीकार्य नही था, चूँकि स्थलाकृतिक सर्वेक्षण की लागत को ऑकने हेतु अगस्त 2007 में हुई बोर्ड ऑफ आफिसर्स की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अधिकृत भूमि को निजी और अन्य भूमि के माध्यम से ही जोडा जा सकता था और सहायक मार्ग हेतु लैंड पॉकेट को निश्चित करना तथा शीघ्र ही अधिकृत करना था।

अतः मुख्य अभियंता द्वारा बनाई खराब योजना के कारण गोलाबारूद डंप पर प्रस्तावित कार्य स्थगित करवाने के अलावा सरकारी सम्पत्ति को ₹37लाख का नुकसान हुआ। प्रतिबंधक कार्य हेतु राजकोष पर ₹1.87 करोड के अतिरिक्त भार को आवश्यक बना दिया। इसके अलावा सेना को भूमि अधिग्रहण पर ₹9.04 करोड और ₹3.00 करोड अधूरे कार्य पर व्यय होने के बावजूद डंप प्राप्ति हेतु परिचालन आवश्यकता से वंचित रहना पड़ा।

4.3 मीटर स्थापित न किये जाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त खर्च

33 के वी की थोक बिजली आपूर्ति हेतु अनुबंधन में मुख्य अभियंता उधमपुर मण्डल द्वारा सैन्य अभियंता सेवाएँ (एम.ई.एस) प्राप्ति स्टेशन में मीटरिंग यूनिट का स्थापित करना आवश्यक था । ऐसा न किए जाने पर न सिर्फ आंकी गई खपत पर अदायगी देनी पड़ी जो कि बढ गई थी, बल्कि एम.ई.एस को ऊर्जा की छूट से भी वंचित होना पड़ा। परिणामस्वरूप, एम.ई.एस को ₹8.83 करोड का अतिरिक्त व्यय करना पडा।

मार्च 2008 में, एम ई एस प्राप्ति स्टेशन उधमपुर में पाँच वर्ष की अवधि के लिए 33 के वी थोक बिजली आपूर्ति हेतु मुख्य अभियंता, उधमपुर मण्डल (सी.ई.) ने जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विभाग (जे के एस ई डी) के साथ अनुबंध किया। थोक आपूर्ति हेतु मूल्य दर स्वीकृति शुल्क दर के अनुसार थी, जोकि जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत नियंत्रण आयोग (जे के एस आर ई सी) द्वारा समय-समय पर आगे के संशोधन के अधीन थी। अनुबंध की शर्त निर्धारित करती है कि आपूर्ति मीटर द्वारा पंजीकृत की जाए जोकि आपूर्तिकर्ता द्वारा मासिक किराए दर पर उपलब्ध कराया जाए। यदि आपूर्तिकर्ता मीटर उपलब्ध कराने मे असमर्थ होता है तो उपभोक्ता को स्वंय ही मीटर उपलब्ध करवाना होगा और इस स्थिति मे कोई भी किराया नही वसूला जाएगा। अनुबंध यह भी स्पष्ट करता है कि यदि मीटर अपरिचालित हो जाता है , तब ऊर्जा की आपूर्ति आंकलन पिछले तीन माह की रीडिग से की जाएगी।

हमने अवलोकन (फरवरी 2012)किया कि इस तथ्य के बावजूद कि मीटर की आवश्यकता अनुबंध में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी, और उसी को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदारी भी स्पष्ट शब्दों में विनिर्दिष्ट की गई, बावजूद इसके सी.ई. ने मीटर स्थापित नहीं किया। मीटर प्रतिस्थापित करने के लिए मामले की शुरूवात दुर्ग अभियंता (यूटिलिटी) द्वारा नवम्बर 2010 में यानि की अनुबंध की आधे से भी अधिक अवधि के समाप्त होने के बाद की। यद्यपि दुर्ग अभियंता द्वारा यह मुद्दा फरवरी 2011 और सितम्बर 2011 में भी अनुसरण किया गया परंतु जे के एस ई डी द्वारा मीटर उपलब्ध नही कराया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर (फरवरी 2012) दुर्ग अभियंता ने अपने स्वंय के मीटर हेतु प्रावधान के मामले को प्रस्तावित किया, जोकि ₹1.52 लाख की कीमत पर नवम्बर 2012 मे प्रतिष्ठापित किया गया। मार्च 2008 और नवम्बर 2012 के बीच मीटर की गैर मौजूदगी में जे के एस ई डी ने एम.ई.एस. से आंकलित खपत का मूल्य वसूला, जो कि बहुत बढा हुआ था। दिसम्बर 2012 से आगे विद्युत व्यय हेतु कीमतें वास्तविक खपत पर लगाई गई थी। दिसम्बर 2012 से जुलाई 2013 तक विद्युत की औसत वास्तविक खपत केवल 781973 यूनिट थी, जबकि मार्च 2008 और नवम्बर 2012 के बीच जे के एस ई डी ने एम.ई.एस. से आंकी गई खपत जोकि 840000 से

1866550 यूनिट थी की कीमत वसूली। अतः एम.ई.एस. को उनके प्राप्ति स्टेशन पर मीटर के स्थापित न किए जाने के कारण अतिरिक्त यूनिट्स हेतु कीमत अदा करनी पडी। मार्च 2008 से नवम्बर 2012 तक वास्तविक औसत खपत से अधिक विद्युत यूनिट्स हेतु ₹8.04 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय आंकलित हुआ।

आगे जे के एस आर ई सी द्वारा अधिसूचित शुल्क के अनुसार 11 केवी एवं 33 केवी के लिए क्रमशः 2.5 और 5 प्रतिशत की दर पर ऊर्जा छूट राज्य एवं केंद्र सरकार रक्षा एवं अर्द्ध सेना बल,के विभागों के लिए लागू थी। जबकि 5 प्रतिशत की छूट केवल करंट ट्रांस्फार्मर/ पोटैशियल ट्रांस्फार्मर (सी टी/पी टी) के प्रतिष्ठान उपरांत ही लागू थी जो मीटर यूनिट का एक भाग बनाती थी। चूँकि मीटर और सी टी/पी टी नवम्बर 2012 तक प्राप्ति स्टेशन में प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे,जे के एस ई डी ने केवल 2.5 प्रतिशत की छूट ही प्रदान की। जिसके परिणामस्वरूप छूट की राशि जो ₹0.79 करोड़ के बराबर थी प्राप्त नहीं की जा सकी। दिसम्बर 2012 में मीटर और सी टी/पी टी के प्रतिष्ठान के उपरांत कुल ऊर्जा दरों पर 5 प्रतिशत की छूट जे के एस ई डी द्वारा दी गई थी।

अतः मामले ने मुख्य अभियंता की तरफ से जे के एस ई डी से अनुबंध के अधीन सरकारी हित की रक्षा न होने की विफलता को उजागर किया जिसके परिणामस्वरूप ₹8.83 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मामला अप्रैल 2013 में मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया, उनका उत्तर (नवम्बर 2013) प्रतीक्षित था।

4.4 ठेकेदारो को वृद्धि प्रभार का अस्वीकार्य भुगतान

मुख्य अभियंताओं ने इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर जो रक्षा निर्माण कार्य प्रक्रिया के प्रावधानों के विरूद्ध थे, निविदा प्रलेखों में मूल्य परिवर्तन खण्ड को सम्मिलत करते हुए निर्माण सँविदाएँ की जिसके कारण ठेकेदारों को अस्वीकार्य भुगतान किए गए।

निर्माण प्रक्रिया (डी.डब्लयू.पी.) 2007 का पैरा 29 (जी), उल्लेख करता है कि उस स्थित में जब कार्य समाप्ति का निर्धारण दो वर्ष के भीतर होना है तो संवैधानिक वृद्वि के सिवाए कोई भी वृद्वि ऐसे कार्य के कार्यान्वयन हेतु संविदाओं में स्वीकृत नही किए जाएगे। ऐसे कार्यो के अनुमानित प्राक्कलन (ए.ई.) भी उसी प्रकार बनाए जाएगे। डी डब्लूय पी के पैरा 58(बी) के अनुसार, ऐसे कार्यों की ए.ई. इस प्रकार बनाई जाएगी ताकि दो वर्षों की वृद्वि रूपरेखित हो जाए। तथापि संविदा में संवैधानिक वृद्वि के सिवाए कोई भी वृद्वि खण्ड सम्मिलत नही किया जाएगा।

डी.डब्लयू.पी. की नियमावली के विपरीत, इंजीनियर-इन-चीफ (इ इन सी) ने निम्न फोरमेशनों को संविदाओं में वृद्वि खण्ड को सम्मिलित करने हेतु निर्णयो को लेने की अनुमति हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जो इस बात पर निर्भर करता था कि वृद्वि घटक दो वर्ष या उससे कम अवधि में पूर्ण होने वाले कार्य की ए.ई. में सम्मिलित है या नही। इन स्पष्टीकरणो के प्रकाश में, निविदा प्रलेखों में वृद्वि खण्ड को सम्मिलित करते हुए मुख्य अभियंता (सी ई) ने ऐसे कार्य करने के लिए अनुबंध स्वीकार किया जिनकी समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष तक थी। तथापि नवम्बर 2011 में, इ-इन.सी. ने महानिदेशक रक्षा लेखा (अक्तूबर 2011) द्वारा उठाई

गई आपत्तियों के आधार पर अपने पूर्व निर्णयों को बदल दिया और सभी निम्न फोरमेशनों को यह निर्देश दिया कि जिन कार्यो की समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष या उससे कम थी उन कार्यो, वृद्वि ख्ण्ड को सम्मिलित न किया जाए। वृद्वि हेतु भुगतान के नियमन के लिए जो पहले से ही ठेकेदारों को दे दी गई थी, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।

लेखापरीक्षा जाँच (मार्च/ अप्रैल 2012) में उजागर हुआ कि 2008-09 और 2010-11 के बीच केंद्रीय, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों में तीन मुख्य अभियंताओं ने आठ विभिन्न कार्यो जिनकी समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष या उससे कम थी, में वृद्वि खण्ड को सम्मिलित करते हुए आठ संविदाओं को स्वीकृत किया जिसमें ठेकेदारों को वृद्वि भुगतान के ₹1.39 करोड़ सम्मिलित थे। आठ कार्यो में से दो कार्यो में वृद्वि के तत्व को स्पष्टता से ए.ई. में एक मद के रूप में सम्मिलत किया था। शेष 6 कार्यों में, वृद्वि के तत्व को ए.ई में स्पष्ट रूप से नही दर्शाया गया था। इ.इन.सी. ने (अप्रैल 2012) वृद्वि हेतु भुगतान के नियमन के लिए जो पहले से ही ठेकेदारों को दे दी गई थी अपने (नवम्बर 2011) पूर्व निर्णय को यह कह कर रद्व कर दिया था कि मई 2008 में जारी स्पष्टीकरण केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए था ताकि आरम्भिक समस्याओं को टाला जा सके, न कि ये रोजमर्रा की घटना के लिए जबकि डी डब्लू पी- 2007, 21 जून 2007, से प्रभाव में आया

अतः मामले ने यह उजागर किया कि डी डब्लयू पी के पैरा 29 (जी) और 58(बी) जो दो वर्ष या कम में समाप्त होने वाले कार्यो के निष्पादन में वृद्वि खण्ड की अनुमित नही देता है,का उल्लंघन करते हुए मुख्य अभियंताओं ने वृद्वि खण्ड को सम्मिलित करते हुए उन कार्यो को स्वीकृत किया जिनकी समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष या उससे कम थी। इसके परिणामस्वरूप तीन मुख्य अभियन्ताओं द्वारा स्वीकृत संविदाओं के अधीन ₹1.39 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया। आगे नियमन के लिए उपर्युक्त निर्देशो के पूर्व निर्णय को रद्व करने की इ.इन.सी की कार्यवाही अस्वीकार्यीय भुगतान को सत्यापित करती है जिसके लिए विस्तृत जाँच और उचित कार्यवाई की आवश्यकता है।

यह मामला मंत्रालय को मई 2013 में सौंपा गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित (नवम्बर 2013) था।